

उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-1
संख्या-790/53-1-2018-1(विविध)/2018
लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश को दुग्ध उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश का सन्तुलित आर्थिक विकास करने दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार कर अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मेक इन यू0पी0 को प्रोत्साहन, नये रोजगार सृजन, अनुसन्धान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण प्रोत्साहन तथा समस्त स्टेक होल्डर्स (हितधारक) को अधिकाधिक लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध विकास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1(विविध)/2018, दिनांक-07.06.2018 द्वारा "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" प्रख्यापित की गयी है।

2- "उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018" के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 सांख्यिकीय डायरी में निर्धारित आर्थिक जोन के आधार पर निम्नानुसार दुग्ध जोन का गठन किया जाता है:-

क्र० सं०	दुग्ध जोन का नाम	जनपद		
1	पूर्वी क्षेत्र	1-प्रतापगढ़, 2-इलाहाबाद, 3- कौशाम्बी, 4-बहराइच, 5-श्रावस्ती, 6-बलरामपुर, 7-गोण्डा, 8-फैजाबाद, 9-अम्बेडकरनगर, 10-सुल्तानपुर,	11-अमेठी, 12-सिद्धार्थनगर, 13-बस्ती, 14-सन्तकबीर नगर, 15-गोरखपुर, 16-कुशीनगर, 17-देवरिया, 18-महराजगंज, 19-आजमगढ़, 20-मऊ,	21-बलिया, 22-वाराणसी, 23-गाजीपुर, 24-जौनपुर, 25-चन्दौली, 26-मिर्जापुर, 27-सोनभद्र, 28-सन्तरविदास नगर
2	पश्चिमी क्षेत्र	1-सहारनपुर, 2-मुजफ्फरनगर, 3-शामली, 4-बिजनौर, 5-मुरादाबाद, 6-रामपुर, 7-अमरोहा, 8-सम्भल, 9-मेरठ, 10-बागपत	11-गाजियाबाद, 12-बुलन्दशहर, 13-गौतमबुद्ध नगर, 14-हापुड़, 15-मथुरा, 16-आगरा, 17-फिरोजाबाद, 18-मैनपुरी, 19-अलीगढ़, 20-हाथरस,	21-एटा, 22-कासगंज, 23-बदायूँ, 24-बरेली, 25-शाहजहाँपुर 26-पीलीभीत, 27-फर्रुखाबाद, 28-कन्नौज, 29-इटावा, 30-औरैया

क्र० सं०	दुग्ध ज० का नाम	जनपद		
3	केन्द्रीय क्षेत्र	1-खीरी, 2-सीतापुर, 3-हरदोई, 4-उन्नाव,	5-लखनऊ, 6-रायबरेली, 7-कानपुर देहात, 8-कानपुर नगर,	9-फतेहपुर, 10-बाराबंकी
4	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	1-जालौन, 2-झांसी, 3-ललितपुर,	4-हमीरपुर, 5-महोबा, 6-बाँदा,	7-चित्रकूट

डॉ० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-790(1)/53-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री जी, उ०प्र०।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- दुग्ध आयुक्त, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि०, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
- 10- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 14- समस्त क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- समस्त प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश।
- 17- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 18- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्दु गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।